

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर

(राज भवन के पास सिविल लाईन, रायपुर)

(फोन नं०-0771-2424148)

क्रमांक-पुअ/एसीबी/ /2015, रायपुर दिनांक-- 16 /03 /2015

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
मोवा, रायपुर (छ0ग0)

विषय:- एन्टी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक 9/2015 धारा 13(1) डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 एवं 120 बी, 109 भा0द0वि0 के प्रकरण में जप्त शुदा चॉवल का परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत।

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम, जिला प्रबंधक, सूरजपुर के कार्यालय से 5 पैकेट चॉवल सेम्पल जप्त किये गये हैं, जिन्हे निम्नानुसार परिशिष्ट से कोडिंग किया गया है:-

1- BKT (S) - 1 से - BKT (S) - 5 कुल 5 पैकेट

आर.आर.चॉवल के उक्त सैम्पलों की जांच निर्धारित मानको के अनुसार की जा कर चॉवल की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं साक्ष्य की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आने पर रिपोर्ट प्रदान करने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
छ0ग0 रायपुर

क्रमांक-पुअ/एसीबी/ 1774-A /2015,

रायपुर दिनांक- 16 /03 /2015

प्रतिलिपि :- (1) श्री संजय देवस्थले, निरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण अनुसंधान ब्यूरो, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
छ0ग0 रायपुर

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)